रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122023-250457
CG-DL-E-07122023-250457

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 698] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 2023/अग्रहायण 15, 1945
No. 698] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2023/AGRAHAYANA 15, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसंबर, 2023

सा.का.नि. 881(अ).—केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (पांचवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में, नियम 11 क के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"11 ख.सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा विशेष आर्थिक जोन के लिए अप्रसंस्करण क्षेत्र: –

(1) नियम 5,नियम 11,नियम 11क या किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुमोदन बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थितसेवा विशेष आर्थिकजोन के विकासकर्ता के अनुरोध पर, सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा विशेष आर्थिकजोन के निर्मितक्षेत्र के एक भाग का सीमांकन सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना

प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा विशेष आर्थिकजोनको एक अप्रसंस्करण क्षेत्रका नाम देने हेतु उसेअप्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) एक अप्रसंस्करण क्षेत्र का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा में लगे हुए कारबार की स्थापना और संचालन के लिए और ऐसे निबधनों और शर्तों पर किया जा सकेगा,जो उपनियम (1) के अधीन अनुमोदन बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं,

(3) किसीअप्रसंस्करण क्षेत्र में पूर्ण तल सम्मिलित होगा और तल के किसी भाग को अप्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में सीमांकित नहीं किया जाएगा।

(4) सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थितसेवा विशेष आर्थिकजोन के अप्रसंस्करण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा में लगे हुए कारबार के लिए उपयुक्त पहुंच नियंत्रण तंत्र होंगे जिससे कि उनके परिसरों के भीतर और बाहर व्यक्तियों तथा माल की आवाजाही की पर्याप्त जांच सुनिश्चित की जा सके।

(5) अनुमोदन बोर्ड सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा विशेष आर्थिकजोन में लगे हुएकारबार के लिए विकासकर्ता द्वारा बिना ब्याज के प्रतिसंदाय के पश्चात ही अप्रसंस्करण क्षेत्र के सीमांकन की अनुज्ञा देगा, -

(i)अप्रसंस्करण क्षेत्र के कारण होने वाले कर लाभ, की गणना केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा विशेष आर्थिकजोन के प्रसंस्करण जोन के कुल निर्मितक्षेत्र सेअप्रसंस्करण क्षेत्र के निर्मित क्षेत्र के अनुपात में विशेष आर्थिकजोन के प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रदान किए गए लाभों के रूप में की जाएगी।

(ii) यदि सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों और अप्रसंस्करण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा में लगे हुएकारबार दोनों द्वारा उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है, तो सामाजिक या वाणिज्यिक अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए पहले से ही कर लाभ प्राप्त कर लिया गया है।

(6) उपनियम (5) के अधीनविकासकर्ता द्वारा प्रतिसंदत्त की जाने वाली रकम एक चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर आधारित होगी।

(7) अप्रसंस्करण क्षेत्र का सीमांकन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप प्रसंस्करण क्षेत्र कुल क्षेत्र के पचास प्रतिशत से कम या नीचे दी गई सारणी के स्तंभ(3) में विनिर्दिष्ट जोन से कम हो जाता है:

सारणी

क्र.सं. (1)	**उपाबंधIV-क के अनुसार शहरों की श्रेणियाँ** (2)	**न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण जोन** (3)
1.	श्रेणी 'क'	50,000 वर्ग मीटर
2.	श्रेणी 'ख'	25,000 वर्ग मीटर
3.	श्रेणी 'ग'	15,000 वर्ग मीटर

(8) अप्रसंस्करण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाविशेष आर्थिक जोन में लगे हुए कारबार विशेष आर्थिक क्षेत्र कीयूनिटों के लिए उपलब्ध किसी अधिकार या सुविधा का लाभ नहीं उठाएंगे।

(9) ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाविशेष आर्थिक जोन के सामान्य अवसंरचना और सुविधाओं के संचालन और रखरखाव पर कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(10) अप्रसंस्करण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा विशेष आर्थिकजोन में लगे हुए कारबार सभी केंद्रीय अधिनियमों और अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन होंगे, जैसा कि घरेलू टैरिफ जोन में काम करने वाली किसी भी अन्य इकाई पर लागू होता है।

[फा. सं. के-43014(16)/9/2021-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में *अधिसूचना* संख्यांक सा.का.नि. 54(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 824(अ) तारीख 7 नवंबर, 2023 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2023

G.S.R. 881(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the follo0wing rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Fifth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. After rule 11A of the Special Economic Zones Rules, 2006, the following rule shall be inserted, namely: -

"11 B. Non-processing areas for Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zones:-

(1) Notwithstanding anything contained in rules, 5,11,11A or any other rule, the Board of Approval, on request of a Developer of an Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zones, may, permit demarcation of a portion of the built-up area of an Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone as a non-processing area of the Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone to be called a non-processing area.

(2) A Non-processing area may be used for setting up and operation of businesses engaged in Information Technology or Information Technology Enabled services, and at such terms and conditions as may be specified by the Board of Approval under sub-rule (1),

(3) A Non-processing area shall consist of complete floor and part of a floor shall not be demarcated as a non-processing area.

(4) There shall be appropriate access control mechanisms for Special Economic Zone Unit and businesses engaged in Information Technology or Information Technology Enabled Services in non-processing areas of Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zones, to ensure adequate screening of movement of persons as well as goods in and out of their premises.

(5) Board of Approval shall permit demarcation of a non-processing area for a business engaged in Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone, only after repayment, without interest, by the Developer, —

(i) tax benefits attributable to the non-processing area, calculated as the benefits provided for the processing area of the Special Economic Zone, in proportion of the built up area of the non-processing area to the total built up area of the processing area of the Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone, as specified by the Central Government.

(ii) tax benefits already availed for creation of social or commercial infrastructure and other facilities if proposed to be used by both the Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone Units and business engaged in Information Technology or Information Technology Enabled Services in non-processing area.

(6) The amount to be repaid by Developer under sub-rule (5) shall be based on a certificate issued by a Chartered Engineer.

(7) Demarcation of a non-processing area shall not be allowed if it results in decreasing the processing area to less than fifty per cent of the total area or less than the area specified in column (3) of the table below:

TABLE

Sl. No. (1)	Categories of cities as per Annexure IV-A (2)	Minimum built-up processing Area (3)
1.	Category 'A'	50,000 square meters
2.	Category 'B'	25,000 square meters
3.	Category 'C'	15,000 square meters

(8) The businesses engaged in Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone in a non-processing area shall not avail any rights or facilities available to Special Economic Zone Units.

(9) No tax benefits shall be available on operation and maintenance of common infrastructure and facilities of such an Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone.

(10) The businesses engaged in Information Technology or Information Technology Enabled Services Special Economic Zone in a non-processing area shall be subject to provisions of all Central Acts and rules and orders made thereunder, as are applicable to any other entity operating in domestic tariff area."

[F. No. K-43014(16)/9/2021-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 824(E), dated the 7th November, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.12.07 13:46:21 +05'30'